| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी / एल0आर0 / 7120 / 2001 / टोंक**<br>**पुरुषोत्तम बनाम हरिशंकर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 5-11-2020 | **<u>एकल पीठ</u>**<br>**श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य**<br><br>**<u>उपस्थितिः–</u>**<br>श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी<br>अप्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं<br><br>**<u>निर्णय</u>**<br><br>हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा अपील संख्या 105/2000 शीर्षक हरिशंकर बनाम पुरुषोत्तम में पारित आदेश दिनांक 14–9–2001 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br><br>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 1.0.0, 1332 रकबा 7.10.0, 1333 रकबा 1.1.0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.11.0 वाके सिरस तह0 निवाई के सम्बन्ध में नामांतरकरण संख्या 651 दिनांक 26–11–1978 ग्राम पंचायत सिरस द्वारा हरिशंकर पुत्र कल्याण हि0 1/2, निरंजन लाल, गोत्तम गोपाल, बिहारी गोत्तम पि0 शिवदयाल हि0 1/2 बख्शीश पत्र रजिस्ट्रह संख्या 293/75 दिनांक 4–8–1975 के आधार पर स्वीकृत किया। उक्त नामांतरकरण को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण पुरुषोत्तम वगैरा द्वारा अपील संख्या 33/99 उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) टोंक के समक्ष प्रस्तुत की जिसे निर्णय दिनांक 24–10–2000 से स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार, निवाई को प्रति प्रेषित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अति0 सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष अपील संख्या 105/2000 शीर्षक हरिशंकर बनाम पुरुषोत्तम प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 14–9–2001 से अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण को बहाल रखा गया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br><br>प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई।<br><br>योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 1.0.0, 1332 रकबा 7.10.0, 1333 रकबा 1.1.0 कुल किता 3 कुल रकबा 9.11.0 वाके सिरस तह0 निवाई अपीलार्थी के पति व पिता रामेवश्वर की खातेदारी की थी और रामेश्वर के फौत विरासतन प्रार्थीगण को प्राप्त हुई और नामांतरकरण | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी / एल0आर0 / 7120 / 2001 / टोंक**<br>**पुरुषोत्तम बनाम हरिशंकर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | स्वीकृत किया गया। नामांतरकरण संख्या 651 दिनांक 26–11–1978 ग्राम पंचायत सिरस द्वारा हरिशंकर पुत्र कल्याण हि0 1/2, निरंजन लाल, गोत्तम गोपाल, बिहारी गोत्तम पि0 शिवदयाल हि0 1/2 बख्शीश पत्र रजिस्ट्रह संख्या 293/75 दिनांक 4–8–1975 के आधार पर स्वीकृत किया गया है किन्तु असल जमाबंदी में इन्द्राज सन् 1966 तक नहीं हो पाया। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है। योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि रामेश्वर का कोई बख्शीशनामा नहीं है और ना ही उसे बख्शीश करने का अधिकार था क्योंकि आराजी पैतृक थी, अतः बख्शीश मान्य नहीं है। बख्शीशनामा के गवाहों ने भी बख्शीश को फर्जी बताया है। इस प्रकार की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिशा–निर्देशों के साथ जॉच हेतु प्रकरण को तहसीलदार, निवाई को तथ्यों व नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रति प्रेषित किया था। अतः अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी के आदेश को यथावत बहाल किया जाए।<br><br>अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।<br><br>प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावलियों का अध्ययन, अवलोकन किया गया।<br><br>प्रकरण में परीक्षण पर यह निर्विवाद है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 1.0.0, 1332 रकबा 7.10.0, 1333 रकबा 1.1.0 कुल किता 3 कुल रकबा 9. 11.0 वाके सिरस तह0 निवाई के सम्बन्ध में नामांतरकरण संख्या 651 दिनांक 26–11–1978 ग्राम पंचायत सिरस द्वारा हरिशंकर पुत्र कल्याण हि0 1/2, निरंजन लाल, गोत्तम गोपाल, बिहारी गोत्तम पि0 शिवदयाल हि0 1/2 बख्शीश पत्र रजिस्ट्री संख्या 293/75 दिनांक 4–8–1975 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। स्पष्ट है कि जब प्रश्नगत नामांतरकरण पंजीबद्ध बख्शीशनामा के आधार पर किया गया है और यदि प्रार्थीगण इस बख्शीशनामा को फर्जी होने का कथन करते हैं तो इसे निरस्त कराने हेतु उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। प्रश्नगत नामांतरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर विधिवत पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई है और कब्जा सुपुर्द करने का अंकन भी किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी को पूर्व में अपने पक्ष में अंकन होना बताया है किन्तु रिकार्ड में उनका नाम आने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पुख्ता साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्नगत प्रकरण नामांतरकरण से संबंधित है और नामांतरकरण एक वित्तीय कार्यवाही मात्र है जिससे किसी प्रकार के हक हकूक अर्जित नहीं होते हैं। नियमित वाद की | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी / एल0आर0 / 7120 / 2001 / टोंक**<br>**पुरुषोत्तम बनाम हरिशंकर** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कार्यवाही में ही हकूकों की घोषणा होनी होती है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने पंजीबद्ध बख्शीशनामा के आधार पर स्वीकृत किए गए प्रश्नगत नामांतरकरण को बहाल रखने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अतः निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये, अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(मनोज कुमार नाग)**<br>**सदस्य** | |